



Dr. Ambedkar Society for Thoughts, Actions and Consciousness

(Regd. Under Society Act and 80G of Income Tax)

Regd. Office.: 26/451, Trilok Puri, Delhi-110091

Activity Center: Sariputra Buddha Vihar, Block 36, (Behind Gurudwara) Trilok Puri, Delhi-110091

Web.: www.dastakindia.org, Email: dastaknk@hotmail.com & dastakindiango@gmail.com

राहुल गांधी जी को खुला पत्र

दिनांक 13 अक्टूबर 2026

श्री राहुल गांधी,
माननीय लोकसभा सदस्य एवं नेता प्रतिपक्ष,
नई दिल्ली।

विषय : भारतीय न्यायपालिका की गरिमा को ठेस पहुँचाने एवं बाबासाहेब डॉ. भीमराव आंबेडकर के संवैधानिक आदर्शों के अपमान के विरोध में क्षमायाचना हेतु पत्र।

महोदय,

हम यह पत्र एक जिम्मेदार अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्ग के लोगों के संगठन के रूप में गहरी चिंता और क्षोभ के साथ लिख रहे हैं। कल, दिनांक 12 अक्टूबर 2026 को आपके और विपक्ष के अन्य नेताओं द्वारा अपने राजनीतिक हितों के लिए सर्वोच्च न्यायालय परिसर में बिना अनुमति के बड़ी भीड़ के साथ प्रवेश करने, वहाँ हंगामा खड़ा करने और एक तरह से माननीय उच्चतम न्यायालय को बंधक बनाने की आपकी कोशिश करने की घटना ने पूरे देश को स्तब्ध किया है।

कल, 12 अक्टूबर 2026 को भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में एक अत्यंत विवादास्पद अध्याय जुड़ा, जिसे भारतीय लोकतंत्र के लिए अपातकाल के बाद सबसे काला दिन कहा जाएगा। आपके द्वारा जिस तरह से कल सुप्रीम कोर्ट में प्रवेश किया गया वह न केवल आपकी राजनैतिक समझ, परिपक्वता, बल्कि संवैधानिक मर्यादाओं और वह संविधान जिसे आप हाथ में लेकर चलते हैं उसके प्रति आपकी आस्था को लेकर भी गहरा सवाल खड़ा करता है।

भारत का सर्वोच्च न्यायालय हमारे लोकतंत्र का सबसे पवित्र स्तंभ है। यह वही संवैधानिक संस्था है जिसे भारत के संविधान ने नागरिकों के अधिकारों की रक्षा और न्याय की स्थापना के लिए स्थापित किया है। हमारे संविधान के मुख्य निर्माता, परम पूजनीय बाबासाहेब डॉ. भीमराव आंबेडकर ने इस देश को एक मजबूत और स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था दी थी। बाबासाहेब का मानना था कि संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान ही किसी भी लोकतंत्र की आत्मा है।

आपके नेतृत्व में कल जो कुछ भी सर्वोच्च न्यायालय के भीतर हुआ, वह लोकतांत्रिक इतिहास का न केवल एक सुरक्षा उल्लंघन और सुरक्षा प्रोटोकॉल की अवहेलना थी, बल्कि वह बाबासाहेब द्वारा रचित संविधान की मूल भावना और संवैधानिक संस्थाओं की गरिमा और संविधान की आत्मा पर एक सीधा आघात था।

राजनीतिक विरोध प्रदर्शित करने के लिए देश की सबसे बड़ी अदालत की मर्यादा को ताक पर रख देना किसी भी तरह से उचित नहीं ठहराया जा सकता। इस कृत्य से करोड़ों अनसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग के लोगों और संविधान प्रेमियों की भावनाएं आहत हुई हैं, जो बाबासाहेब को अपना आदर्श मानते हैं।

हमें तीव्र व्याकुलता और गहरी संशयग्रस्तता के साथ कहना पड़ रहा है कि अभी हाल में आपके द्वारा किए जा रहे कृत्यों से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आप न केवल संवैधानिक संस्थाओं को निशाना बना रहे हैं बल्कि लोकतंत्र के प्रति लोगों की आस्था को ठेस पहुंचाने हेतु आप लगातार एक के बाद एक कदम उठा रहे हैं जिससे यह संदेह उत्पन्न होता है कि आप भारत देश के लोकतंत्र के प्रति लोगों की आस्था को डिगाने के लिए न केवल जानबूझकर बल्कि किन्हीं अन्य ताकतों इशारे पर कार्य कर रहे हैं, इसी क्रम में आपके द्वारा किए गए कुछ कृत्य निम्न हैं:-

1. **वोट चोरी के आरोप :** आपने निर्वाचन आयोग और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर वोट चोरी का आरोप लगाते हुए उनके इस्तीफे की मांग की है। आप अपनी चुनावी हार को स्वीकार न कर पाने के कारण, हर बार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) और चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर कीचड़ उछालते हैं।
2. **स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) का विरोध :** आप और इंडिया ब्लॉक (INDIA bloc) के नेताओं ने निर्वाचन आयोग द्वारा की जा रही मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision) की प्रक्रिया पर एकतरफा फैसले लेने और बड़े पैमाने पर मतदाताओं के नाम हटाने के आरोप लगाए हैं।

अगर देखा जाए तो यह दोनों आरोप विराधाभासी हैं अगर एक पोलिटिकल पार्टी ईवीएम के द्वारा वोट चोरी कर चुनाव जीत पाने में सक्षम है तो उसे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) की क्या जरूरत है।

3. **देश के सर्वोच्च संवैधानिक पदों (राष्ट्रपति) का अनादर :** जब आप और विपक्ष का संयुक्त प्रतिनिधिमंडल कथित चुनावी अनियमितताओं को लेकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिला, तब राष्ट्रपति जी के द्वारा मांगे जाने पर भी वे अपनी शिकायतों के पक्ष में कोई ठोस आंकड़े या सबूत पेश नहीं कर सके। जब आपके पास कोई सबूत ही नहीं हैं तो आप क्या सोचकर राष्ट्रपति जी से मिलने गए थे, यह दिखता है कि आप अपने द्वारा लगाए गए आरोपों को लेकर खुद गंभीर नहीं

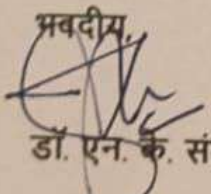
हैं और सिर्फ लोकतंत्र और संवैधानिक संस्थाओं के प्रति लोगों की आस्था से खिलवाड़ करने के लिए यह सब कृत्य कर रहे हैं।

4. **विदेशी धरती पर भारतीय लोकतंत्र की आलोचना :** आपने वैश्विक मंचों (जैसे अमेरिका या ब्रिटेन) का दौरा करने के दौरान भारतीय लोकतंत्र, न्यायपालिका और स्वतंत्र जांच एजेंसियों को (कमजोर) या (सरकार के नियंत्रण में) बताया, जिससे वैश्विक स्तर पर भारत की छवि धूमिल हुई।
5. हमारे पड़ोसी देशों जैसे नेपाल, और बंगलादेश की तरह पिछले कुछ समय से युवाओं को लगातार भड़काने की कोशिश।
6. सड़कों पर बिना पूर्व अनुमति के प्रदर्शन करके चुनी हुई सरकार को बंधक बनाने की कोशिश।
7. **मुख्य न्यायाधीश (CJI) से मिलने की मांग और न्याय पालिका को दवाब में लाने की कोशिश :** उस समय जबकि मुख्य न्यायाधीश आपके द्वारा उठाए गए प्रश्नों से संबंधित दायर याचिकाओं को सुन रहे हैं आप उन्हें दवाब में लाने के लिए न केवल उनसे मिलने की मांग कर रहे हैं अपितु अपनी सुप्रीम कोर्ट में इस तरह से भारी भीड़ के साथ घुसकर न्यायधीशों को दवाब में लाने का कार्य कर रहे हैं जिससे सुप्रीम कोर्ट की निष्पक्षता प्रभावित हो।

अतः हमारा संगठन आपसे यह मांग करता है कि आप न केवल उपरोक्त तथ्यों के प्रति स्पष्टीकरण दें बल्कि अपने द्वारा सुप्रीम कोर्ट में किए गए गैर-जिम्मेदाराना आचरण के लिए देश की जनता, माननीय न्यायपालिका और बाबासाहेब के आदर्शों का सम्मान करने वाले करोड़ों नागरिकों से सार्वजनिक रूप से बिना शर्त क्षमा मांगें।

आपके द्वारा दिनांक 12 अक्टूबर 2026 को किया गया कृत्य ने केवल बाबासाहेब का अपमान है बल्कि यह बाबासाहेब के लोकतांत्रिक भारत का सपने के प्रति एक आघात है। आपके इस प्रकार संवैधानिक संस्थाओं को क्षति पहुंचाने के कारण हम अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्ग के लोग अत्यंत असुरक्षित महसूस कर रहे हैं।

हम आशा करते हैं कि आप इन सब विषयों की संवेदनशीलता को समझेंगे और अपने आचरण में सुधार लाते हुए न केवल स्पष्टीकरण देंगे बल्कि देश से सार्वजनिक मंच से क्षमा मांगेंगे।

भवदीय,

डॉ. एन. के. संत,
अध्यक्ष